उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठाकन क्रमांक C/8230 जबलपुर, दिनांक 29/11/2024

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र कमांक 3874/2024/21–ब (1) दिनांक 08.10.2024 की प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर/ग्वालियर
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश..... (समस्त)..... मध्यप्रदेश,
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ..... (समस्त)..... मध्यप्रदेश,
4. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश
5. ओ.एस.डी.–कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर
7. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
8. रजिस्ट्रार (एम.)/ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. उप नियंत्रक (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
12. सदस्य, शिकायत निवारण सेल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
13. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.)..... (समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
14. प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी, लेखा, पेंशन, सहायक पुस्तिका (राजपत्रित), लेखा, गोपनीय, शिकायत, बजट अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
भोपाल का पत्र क्रमांक 3874/2024/21–ब (1)
दिनांक 08.10.2024

27.11.24

(राजेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार (एम.)

speed-post

मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3874/2024/21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 08/10/2024

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषयः– राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को स्वीकृत चिकित्सा भत्ता एवं गृह सहायक भत्ते के भुगतान के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण रिट याचिका (सि.) 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरूद्ध भारत संध व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 04/01/2024 के अनुक्रम में विभागीय अधिसूचना दिनांक 15/03/2024 जारी की गई है।

उक्त अधिूसचना में न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों की दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी उल्लेख है तथा सेवानिवृत्ति उपरान्त न्यायिक अधिकारियों को गृह सहायक भत्ते एवं चिकित्सा भत्ते का एरियर सहित भुगतान किया जाना है इस हेतु सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को सेवानिवृत्ति के स्थल पर उक्त दोनों दावे का क्लेम करना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा न्यायिक अधिकारियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिए विभिन्न मदों का सृजन किया गया है जिसके अनुक्रम में उन्हें उन सुविधाओं का एरियर सहित भुगतान प्राप्त हो रहा है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा इस संबंध में वित्त विभाग के परामर्श से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को पत्र क्रमांक 3455/21–ब(एक)/2024 दिनांक 03/09/2024 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति स्थल पर 1 से 3 माह पश्चात् उक्त दोनों भत्ते के प्रदाय हेतु क्लेम करना होगा तत्पश्चात् उक्त कार्यालय द्वारा कोषालय में देयक प्रस्तुत कर संबंधित को भुगतान करने की प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी।

अतः मध्यप्रदेश राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पेंशन के साथ प्रदाय किये जाने वाले गृह सहायक भत्ते एवं चिकित्सा भत्ते के संबंध में वित्त विभाग के संलग्न परामर्श अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किये जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

7-10-2024

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

पृ. क्रमांक 3874/2024/21–ब(एक) भोपाल, दिनांक ...../10/2024

1– श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एच0आई0जी0–01, विधाधर कॉलोनी, खजुराहो जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
21 OCT 2024
Reg No. 52065
Receipt Clerk
High Court

pension 21-10

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3455/21–ब(एक)/2024, भोपाल, दिनांक 02 सितम्बर, 2024

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषय :– श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के सेवानिवृत्ति उपरान्त देय चिकित्सा भत्ता एवं गृह सहायक भत्ता प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ज्ञापन क्रमांक सी/870/चार–9–51/21 पेंशन दिनांक 24/01/2024

———

उपर्युक्त संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जिन्हें अंशदायी पेंशन योजना–2005 अंतर्गत पेंशन प्राप्त हो रही है को विभागीय आदेश दिनांक 15/06/2006 एवं 25/06/2010 अनुसार उक्त दोनों भत्तों क्रमशः चिकित्सा भत्ता एवं गृह सहायक भत्ते का प्रतिमाह प्रदाय किये जाने हेतु जिले के कोषालय अधिकारी को निर्देशित किए जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया था।

विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा जावक क्रमांक 1377/1304/24/वित्त/नियम/चार दिनांक 09/08/2024 के माध्यम से सुगमता के दृष्टिगत सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी निर्धारित समयावधि (1–3 माह) में निर्धारित भत्तों के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत किये गये व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र सेवानिवृत्त स्थल के कार्यालय में प्रस्तुत करने एवं उक्त आधार पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कोषालय में देयक प्रस्तुत कर संबंधित को भुगतान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने का कष्ट करें।

2.9.2024

(एन0पी0सिंह)
प्रमुख सचिव (विधि)
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

नियमित पत्र फाईल